

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-177/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० स्वीटी ठाकुर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (चर्म रोग), बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना बिहार का विभागीय आदेश संख्या-605(2), दिनांक-20.03.2026 द्वारा दिनांक-05.02.2026 से 21.03.2026 तक कुल-45 (पैंतालीस) दिन की अवधि को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था। विभागीय आदेश संख्या-768(2), दिनांक-10.04.2026 द्वारा दिनांक-22.03.2026 से 01.04.2026 तक कुल-11 (ग्यारह) दिन विस्तारित करते हुए स्वीकृत किया गया था। डा० स्वीटी ठाकुर के आवेदन के आलोक में उक्त अवकाश को दिनांक-02.04.2026 से 10.04.2026 तक कुल-09 (नौ) दिन विस्तारित करते हुए स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० स्वीटी ठाकुर को 545 (पाँच सौ पैंतालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-177/2025- 846(2) पटना, दिनांक 21/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना/डा० स्वीटी ठाकुर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (चर्म रोग), बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव